

NCRPS No. 5651/2019

सं: 797-ई/पालिसी/2019/ Minimum wages

दिनांक: 0 .2019

अपर महाप्रबन्धक/उ.म.रे./इलाहाबाद। समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/उमरे/इलाहाबाद। वरि.उप महाप्रबन्धक/उ.म.रे./इलाहाबाद। उप महाप्रबन्धक/सा./उ.म.रे./इलाहाबाद। मु.प्रशा.अधि/निर्माण/उ.म.रे./इलाहाबाद। चेयर मैन/आर.आर.सी./उ.म.रे./इलाहाबाद। उप मु.का.अधि./राज/आई.टी./मुख्या/उ.म.रे./इलाहाबाद। वरि.का.अधि./राज/आई.आर./मुख्या./उ.म.रे./इलाहाबाद। मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक/उ.म.रे./इलाहाबाद, आगरा एवं झॉंसी। मुख्य कारखाना प्रबन्धक/उ.म.रे./वैगन रिपेयर शाप, झॉंसी। मुख्य कारखाना प्रबन्धक/उ.म.रे./रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक/उ.म.रे./झॉंसी। उप मु.अभि/सीपीओएच/उ.म.रे./इलाहाबाद। उप मु.अभि./सीएसपी/उ.म.रे./इलाहाबाद। प्रधानाचार्य-सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर/उ.म.रे./झॉंसी। प्रधानाचार्य-सिविल ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे/कानपुर। प्रधानाचार्य-इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, उमरे/इलाहाबाद। प्रधानाचार्य -एरिया ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे/झॉंसी। प्रधानाचार्य -बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर,लोको/उमरे/झॉंसी। प्रधानाचार्य - बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/उमरे/ झॉंसी। प्रधानाचार्य-बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशाप/उमरे/झॉंसी। प्रधानाचार्य-सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे /कानपुर। प्रधानाचार्य- परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे/झॉंसी। प्रधानाचार्य-ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगज/उमरे/इलाहाबाद। प्रधानाचार्य - इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झॉंसी। प्रधानाचार्य- इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर। उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./ झॉंसी एवं आगरा। उप मुख्य इंजी /टी.एम.सी./ लाईन/झॉंसी। व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub: Regarding Minimum Wages of road vehicle drivers.

उपरोक्त संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2019/E(LL)AT/MW/5 दिनांक 20.06.2019 की प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Policy letters Circulated under NCRPS may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in (About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

संलग्नक- यथोक्त।

(V.P.Singh)
SPO/HQ

For General Manager/P

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/कैंडर/अराज एवं राज/उमरे/इलाहाबाद।
2. कार्यालय अधीक्षक/यूनियन सेल/उमरे/इलाहाबाद।
3. कार्यालय अधीक्षक/गोपनीय अनुभाग/उमरे/इलाहाबाद।
4. महामंत्री, एन सी आर ई एस/उमरे/इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर एम यू/उमरे/इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए/उमरे/इलाहाबाद।
7. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसियेशन/उमरे/इलाहाबाद।
8. महामंत्री ओबीसी एशोसियेशन/उमरे/इलाहाबाद।

36) PCPC
20/6/19

RB-2019-1369
24-6-19

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No. 2019/E(LL)/AT/MW/5

New Delhi, dated 20.06.2019

The General Manager (P)
North Central Railway,
Prayagraj.

Sub: Regarding Minimum Wages of road vehicle drivers.

Reference North Central Railway's letter No. Mech./161/Veh./ विविध dated 06.06.19 on the above mentioned subject.

2. In terms of extant guidelines, all references addressed to Railway Board (except reminders and letters of routine nature) are required to be sent under the signatures of an officer not below the rank of SAG. This has not been done in this case. Therefore, the matter may be reviewed at an appropriate level in the Railway itself. If, thereafter, a reference to Board is considered necessary, only then a reference may be sent as per extant guideline.

Imp

प० मुकाधिम	
मुकाधिम (प्रशास)	
मुकाधिम (आई० आर०)	
उप मुकाधिम (राज०)	
उप मुकाधिम (मुख्या०)	
उप मुकाधिम (आई० आर०)	
अध्यक्ष/रि० प्र० प्र०	
प्र० का० अधिम (राज०)	
प्र० का० अधिम (आई० आर०)	
प्र० का० अधिम (मुख्या०)	
सकाधिम (आई० आर०)	
सकाधिम (प्रशास)	
सकाधिम (अन्य)	

20/6/19
26/06/19

Manju
(Ms. Manju)
Joint Director Estt.(LL)
Railway Board.

Policy
Store

R
AM
25/7/19

उत्तर मध्य रेलवे

महाप्रबन्धक कार्यालय
(यॉत्रिक शाखा)
सूबेदारगंज, इलाहाबाद
Dated: 06.06.19

पत्र सं. Mech./161/Veh./विविध

JDE/(LL)
Room No. 311-A
Railway Board
New Delhi

विषय:- सड़क वाहन चालकों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान के सम्बंध में।
संदर्भ:- RBE No. 178/2017.

उपरोक्त विषय के सम्बंध में उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय, इलाहाबाद में कार्यालय कार्यों हेतु निविदा के आधार पर सड़क वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है। निविदा के अनुसार सड़क वाहन के चालकों को फर्म द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान करना होता है।

1. वाहन चालक का निर्धारण किस कैटेगरी (Skilled/Unskilled/Semiskilled) में होगा।
2. कृपया उपरोक्त के सम्बंध में यह अवगत कराये कि वाहन चालकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत भुगतान करने हेतु रेल विभाग को उत्तर प्रदेश से जारी न्यूनतम मजदूरी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करना आवश्यक है। उप श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी रु.9873.00 (Skilled) प्रतिमाह है।
3. जो भी सरकारी कार्य निविदा पर होता है, उनके लिए प्रिंसिपल इम्प्लायर होता है एवं भारतीय रेल केन्द्रीय उपक्रम है, इस सम्बंध में लेखा विभाग द्वारा वित्तीय सहमति लेने में अड़चन आती है एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन देने को कहा जाता है।

कृपया इस सम्बंध में उचित दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें, जिससे कार्य का निष्पादन सुचारु रूप से हो सके।



(मनीषा गोयल)

उप मु.यॉ.इंजी./कै.वै.
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद